संख्या-71/2016/1917 ई-2/तेरह-2016-37/1999

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 30 नवम्बर,2016

विषय:-होटल राजमहल सनग्लो होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा0लि0, ए/सी, 1/2, ताज नगरी फेज-2, फतेहाबाद रोड, आगरा को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-14/1जि0आ0अ0/आगरा, दिनांक 25 अप्रैल,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 18-4-2015 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-84/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-5/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 13 अगस्त,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा होटल राजमहल सनग्लो होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा0लि0, ए/सी, 1/2, ताज नगरी फेज-2, फतेहाबाद रोड, आगरा को वर्ष 2016-17 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-71/2016/1917(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-84/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-5/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 13 अगस्त,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।